

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1037/2025

Ashok Kumar

----Appellant

Versus

Smt. Rukmani Devi W/o Pooranmal,

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री शिवचरण गुप्ता
श्री हर्ष सारस्वत

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

01-07-2025

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या-01/2025 प्रस्तुत कर पत्रावली में कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप को वेव किए जाने का निवेदन किया गया है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों तथा योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रत्यर्थी की आपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा पत्रावली में इंगित आक्षेप को वेव किया जाता है ।

प्रत्यर्थी को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस साधारण व पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सात दिवस में करें ।

नोटिस वास्ते तामील योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती प्रदान किए जावें ।

विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे ।

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J